



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2022—वैशाख 9, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग) प्रारूप नियम

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2022

शुद्धि-पत्र

क्र. मप्रविनिआ -संचा.(अ. एवं वि.) 2022-919.—मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1173, दिनांक 12 अगस्त, 2021 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार (ग) में दिनांक 20 अगस्त, 2021 को पृष्ठ क्रमांक 535 से 732 तक किया गया है। इस अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 535 पर “अंतिम विनियम” के स्थान पर “प्रारूप नियम” त्रुटिवश प्रकाशित हो गया है।

अतएव, यह शुद्धि-पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। प्रकाशित हिन्दी संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 535 पर “प्रारूप नियम” के स्थान पर “अंतिम विनियम” पढ़ा जावेगा।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, आयोग सचिव।